रिपोर्ट मोबाईल श्रम संसाधन केन्द्र

समन्वय एवं अभिसरण

जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के साथ परियोजना के संबंध में प्रारंभ से ही समन्वय स्थापित किया गया। प्रमुखत: जिला पंचायत, श्रम विभाग, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के साथ परियोजना एवं कार्यक्रमों के संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान से कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित किया गया।

जिला स्तर पर समन्वय एवं अभिसरण

कार्यक्रम के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अवगत कराकर सहयोग एवं समन्वय हेतु आग्रह किया गया। जिला पंचायत अधिकारियों से कार्यक्रम हेतु सहयोग प्राप्त हुआ एवं श्रम विभाग, जनपद पंचायत हेतु पत्र भी जिला पंचायत द्वारा प्रेषित किया गया। श्रम विभाग जिला अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में प्रारंभ से सहयोग एवं समन्वय रहा।

ब्लॉक स्तर

जनपद पंचायत स्तर पर अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा समन्वय रहा, जिससे कि एल. आर. सी. कार्यालय का क्रियान्वयन एवं परियोजना के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से किया जा सका। जनपद पंचायत से ग्राम पंचायतों हेतु पत्र जारी किया गया और समस्त ग्राम पंचायतों के सरंपच व सचिव के साथ बैठकों का भी आयोजन किया गया।

ग्राम पंचायत स्तर

श्रमिक मित्रों द्वारा ग्राम पंचायत सरंपच, सचिव एवं पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाया गया। जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम में पदाधिकारियों द्वारा सहायता की गई। श्रमिक मित्रों द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को विशेषकर श्रम विभाग की योजनाओं के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई एवं ग्रामीणों के पंजीयन हेतु सहयोग कर पंजीयन कराने के विषय पर चर्चाएं हुई। अधिकतर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं हेतु स्वयं से ग्रामीणों को जागरूक कर पंजीयन में सहायता की और श्रमिक मित्रों की इस प्रक्रिया में सहायता ली।

एम एल आर सी कैम्प

Mobile LRC का संचालन नवागढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गांवो में किया गया। इसके साथ ही साथ बम्हनीडीह ब्लॉक के 25 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। इस तरह से कुल 115 ग्राम पंचायतों में Mobile LRC कार्यक्रम का संचालन किया गया।

Mobile LRC कार्यक्रम की प्रक्रिया में अनेक संसाधनों का उपयोग किया गया, जिससे कि ग्रामीणों को संबंधित जानकारियॉं दी जा सके एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

- इस प्रक्रिया में हमारे द्वारा दो प्रकार से रणनीतियों का उपयोग किया गया।

- Mobile LRC वैन द्वारा प्रत्येक गांव का भ्रमण एवं ग्रामीणों के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
- जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा जो आवेदन दिए गए अथवा आवेदन हेतु रूचि दिखाई गई, उनके विवरण श्रमिक मित्रों द्वारा सूचिबद्ध करके रखे गए, जिससे दूसरे-तीसरे दिवस में ग्रामीणों से मिलकर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया गया।
- Mobile LRC जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत एनाउँसमेंट, पोस्टर-पाम्पलेट वितरण, आवेदन पत्रों के प्रारूपों का वितरण, समूह बैठक एवं ऑडियो-विडियो जैसे संसाधनों का प्रयोग किया गया।
- मोबाईल श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम में प्रोजेक्टर का उपयोग कुछ ही गांव में किया जा सका, चूंकि प्रोजेक्टर के उपयोग हेतु अलग व्यवस्थाएं एवं ग्रामीणों का समय इत्यादि कई समस्याएं थी।

Mobile LRC के कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में बदलाव

Mobile LRC कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत कई योजनाओं जैसे पेंशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा, श्रम विभाग की योजनाएं आदि में ग्रामीण गरीब एवं मजदूर परिवारों का आवेदन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत कई योजनाएं ऐसी है, जिनके लिए श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन लगातार किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत नवागढ ब्लॉक में 70,000 नए स्वास्थ्य बीमा- आयुष्मान योजना अंतर्गत बनाए जाने हैं, जिस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा संस्था को कार्य हेतु संपर्क भी किया गया है।

इसी तरह से ग्रामीण मजदूर परिवारों को अभी भी अधिकतर योजनाओं से जुडाव कर लाभ दिलाने हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। श्रम संसाधन केन्द्र का कार्य ग्रामीण परिवारों तक इन सूचनाओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु बहुत अहम् योगदान दे सकता है, इसलिए श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम को लगातार क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम के प्रथम चरण में समस्त ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी का निर्माण हेतु कल्प समाज सेवी संस्था के श्रमिक मित्रों द्वारा सहयोग किया गया था, जिसे ग्राम पंचायत में ही संधारित करने हेतु सरपंच एवं सचिव को सौंपा गया था। प्रथम चरण में पलायन पंजी निर्माण एवं संधारण प्रक्रिया में श्रमिक मित्रों द्वारा ग्राम पंचायत में परिवार सर्वे कर पंजी को संधारित किया गया था, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूह के सदस्यों एवं अन्य ग्रामीणों को भी शामिल किया गया था। वर्तमान मोबाईल श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम में पलायन पंजी के वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया गया, जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंजी का संधारण व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में श्रम मित्रों द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में पुन: कुछ व्यक्तियों एवं परिवारों की सूचना ग्राम पंचायत में दी गई और पंजी में संधारण को सुनिश्चित किया।

श्रम विश्राग के द्वारा पलायन पंजी हेतु मोबाईल एप के विषय पर कोई कार्य विशेषत: नहीं किया गया है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रतिनिधियों से इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पायी है।

हितग्राही चिन्हॉकन एवं आवेदन -
मोबाईल श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम में हितग्राहियों के चिन्हॉकन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन श्रम मित्रों द्वारा किए गए हैं। मोबाईल वैन द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं के संदर्भ में जानकारियॉ दी गई एवं श्रम मित्रों द्वारा हितग्राहियों की सूची तैयार की गई।

हितग्राहियों के चिन्हॉकन हेतु प्रक्रिया -

- मोबाईल वैन के पास ग्रामीणों द्वारा अपना नाम दर्ज कराना।
- द्वितीय दिवस में श्रम मित्र द्वारा दर्ज नाम के आधार पर ग्रामीणों से मिलना एवं योजना की समस्त जानकारी प्रदान कर, यह सुनिश्चित करना कि परिवार किस योजना हेतु पात्र है।
- संबंधित योजना हेतु आवेदन फार्म भरने में परिवार की सहायता करना एवं आवेदन जमा कराना।

योजनाओं में आवेदन हेतु दस्तावेजीकरण -
हितग्राहियों के चयन कर पात्रता अनुसार योजना में आवेदन जमा कराने हेतु प्रक्रिया की गई। सामान्यत: श्रम मित्रों द्वारा हितग्राहियों को योजना अनुसार आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के विषय में जागरूक किया गया एवं परिवार को दस्तावेज एकत्र करने हेतु कहा गया। आवेदन प्रारूप भरने एवं दस्तावेजों के संकलन में साधारणतया सभी दस्तावेज हितग्राहियों के पास मिले और कुछ दस्तावेजों हेतु हितग्राहियों द्वारा ग्राम पंचायत अथवा किसी कम्प्यूटर सेंटर से प्राप्त किए गए, इसके लिए भी श्रम मित्रों द्वारा हितग्राहियों को सहयोग किया गया।

श्रम विभाग में पंजीयन हेतु आवेदन के लिए सभी हितग्राहियों का आवेदन जमा किया जा चुका था, परन्तु उसमें बाद में स्व-घोषणा पत्र देने हेतु कहा गया, जिसे भी हितग्राहियों को सूचित कर जमा कराया गया।

योजनाओं का वेबसाईट/पोर्टल

कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया में शासकीय योजनाओं के वेबसाईट/पोर्टल का उपयोग श्रम मित्रों द्वारा किया गया। इन वेबसाईट/पोर्टल से वर्तमान में ग्राम पंचायत में योजनाओं की स्थिति का ऑकलन करने हेतु भी उपयोग किया गया। साथ ही साथ जिन हितग्राहियों के आवेदन पूर्व में जमा किए जा चुके हैं, उनका भी विवरण प्राप्त हुआ। पूरे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रम विभाग के वेबसाईट/पोर्टल का उपयोग अधिक किया गया।

श्रम विभाग के जिला अधिकारी से समन्वय से कार्यक्रम में सम्मिलित श्रम मित्रों का 'श्रम पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया' विषय पर एकदिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण श्रम विभाग के जिला कार्यालय में ही आयोजित हुआ, जिसमें श्रम जिलाधिकारी भी सम्मिलित रहे और श्रम विभाग के सदस्यों द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया।

इसके साथ ही साथ मोबाईल श्रम संसाधन केन्द्र कार्यक्रम के रिर्पोटिंग एवं हितग्राहियों का विवरण दर्ज करने हेतु एम. वॉटर पोर्टल का उपयोग किया गया।

स्कील मैपिंग

कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों के कौशल विकास हेतु उनके कौशल एवं रूचि के संदर्भ में जानकारी एकत्र किया जाना था। इस हेतु श्रम मित्रों द्वारा अलग-अलग कार्य रणनीति का उपयोग किया गया।

- परिवार सर्वेक्षण
- सामूहिक चर्चा एवं बैठक
- स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक

परिवार सर्वेक्षण पूर्णत: समस्त ग्राम पंचायतों में नहीं किया जा सका, परन्तु समस्त परिवारों की जानकारी को एकत्र करने हेतु सामूहिक बैठकों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए, श्रम मित्रों द्वारा प्रयास किया गया कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक परिवार की जानकारी एकत्र की जा सके। विशेषकर पलायन करने वाले परिवारों की जानकारी पूर्ण तौर पर मिले यह प्रयास रहा। इन्हीं परिवारों से सदस्यों के कौशल संबंधित

जानकारियों को एकत्र किया गया, साथ ही साथ अन्य ग्रामीणों की भी कौशल संबंधित जानकारी एकत्र की गई।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया-
कौशल संबंधित जानकारियों को एकत्र करते समय ग्रामीणों की अलग-अलग कई प्रतिक्रियाएं श्रम मित्रों को प्राप्त हुई, जिसमें प्रमुखत: कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् भी अपने जिले में प्रतिदिन की मजदूरी कम मिलती है, जबकि यही अगर ग्रामीण दूसरे राज्यों में काम करते हैं तो वो दुगुनी मिलती है। इसके साथ ही साथ लोगों का रुझान रहा कि कौशल प्रशिक्षण लेगें परन्तु यहाँ उतनी मजदूरी भी मिले इस हेतु संस्था अधिकारियों या सरकार के साथ बात करे।

नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कौशल संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने से यह स्पस्ट हो रहा है कि ज्यादातर लोग भवन निर्माण मिस्त्री के तौर पर और अधिक सीखने चाहते हैं, चूंकि लोग इसी काम को या इससे ही संबंधित काम में मजदूरी करने पलायन करते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे तरह के कार्य हेतु लोगों की प्रतिक्रिया आई है जैसे कि- कॉरपेन्टर, बाईक रिपेरिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि।

श्रम संसाधन केन्द्र की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में श्रम संसाधन केन्द्र जनपद पंचायत, नवागढ़ में संचालित की जा रही है। परियोजना पश्चात् श्रम संसाधन केन्द्र की निरंतरता को बनाए रखने हेतु कल्प समाज सेवी संस्था द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, श्रम संसाधन केन्द्र में ग्राहक सेवा केन्द्र की सुविधाओं को जोड़ने हेतु प्रयास जारी हैं, जिससे कि श्रम संसाधन केन्द्र को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

- जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ ग्राहक सेवा केन्द्र विषय पर चर्चा की गई है।
- श्रम संसाधन केन्द्र कार्यालय हेतु जनपद पंचायत से अलग व पास ही किराए का कमरे की पहचान की जा रही है।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ द्वारा श्रम संसाधन केन्द्र को हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया गया है।
- ग्राहक सेवा केन्द्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित कर जमा कर दिया गया है।
- संस्था द्वारा अन्य परियोजना के कार्यों में श्रम संसाधन केन्द्र की संकल्पना को शामिल किया गया है, जिससे कि नवीन परियोजनाओं में भी श्रम संसाधन केन्द्र को संचालित किया जाता रहे।

कार्यक्रम के फोटो :-

सामाजिक सुरक्षा जागरूकता रथ निकाली गई

गोधना । (नईदुनिया न्यूज) । ग्राम पंचायत कुकदा में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कल्प समाजसेवी संस्था के द्वारा सामाजिक सुरक्षा जागरूकता रथ निकाली गई।

फिल्ड आफिसर टीकाराम कश्यप और वालिंटियर राकेश कुमार कश्यप के द्वारा ग्रामीणों को राशन कार्ड, पेंशन, श्रम पंजीयन, स्वास्थ बीमा और अन्य योजनाओं के जानकारी दी गई। साथ ही कोविड 19 के बचाव के बारे में बताया गया। सार्वजनिक स्थानों, बाजार, बैंक आदि स्थानों पर मास्क लगाकर जाएं। समय - समय पर अपने हाथों को साबुन से धोने तथा दो गज की दूरी बनाकर रहने कहा गया। ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया गया गया। कल्प समाज सेवी संस्था के द्वारा सामाजिक सुरक्षा परियोजना अंतर्गत सामाजिक जागरूकता निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नवागढ़ ब्लाक के सभी 93 ग्राम पंचायतों के गली मोहल्ला, चौक – चौराहा में शासन की योजनाओं का प्रसार प्रचार किया जा रहा है।

गोधना। ग्रामीण को जानकारी देते संस्था के कर्मचारी ● नईदुनिया

मात्र 96 हजार रुपये की व्यवस्था हो पाई है।

आकाशीय बिजली की चपेट में